प्रकाशनार्थअनुमोदत

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>रिट अपील क्र. 140 / 2008</u>

<u>अपीलार्थी</u> रत्नेश्वर बेनर्जी

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

विचारार्थ

सही/-

एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री आई.एम. कुद्दुसी, न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।

सही/-

न्यायाधीश

31-08-2010

दिनांक 01-09-2010 के लिए सूचीबद्ध हो ।

सही/-

आई.एम. कुद्दुसी

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट अपील क्र. 140 / 2008

अपीलार्थी रत्नेश्वर बेनर्जी

बनाम

उत्तरवादीगण भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य

युगल पीठ:- **माननीय श्री आई.एम. कुद्दुसी एवं**

माननीय श्री एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीशगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: रिट अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से I

उत्तरवादी हेतु श्री बी.पी. गुप्ता, अधिवक्ता I

आदेश

(दिनांक 1-9-2010 को पारित)

एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीश द्वारा

1. यह रिट अपील 30 अप्रैल, 2008 को रिट याचिका क्रमांक 321/2001 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

(i) रिट अपीलार्थी जिला प्रबंधक, एफ.सी.आई., रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में ए.जी.-I (पीपी) के पद पर कार्यरत था। उसे उत्तरवादी क्रमांक-2 द्वारा अस्वीकृत सीमा से अधिक लेवी चावल स्वीकार करने हेतु दिनांक 29-6-2000 को आरोप पत्र दिया गया था। दिनांक 17-10-2000 को एक और आरोप पत्र चावल मिल मालिकों से लेवी चावल स्वीकार करने में उसके द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं के लिए जारी किया गया था एवं दिनांक 1-12-2000 को तीसरा आरोप पत्र उन आरोपों पर जारी किया गया था कि उसने चावल मिल मालिकों को चावल के भंडार के खिलाफ गलत भुगतान की अनुमति दी थी, जो बिल्कुल भी खरीदा नहीं गया था एवं उसने चावल मिल मालिकों के साथ मिलीभगत करके दस्तावेज तैयार किया था। उसने उच्च अधिकारियों को गुमराह करने हेतु झूठे भुगतान के तथ्यों को छिपाने के उद्देश्य से अपने नियंत्रण अधिकारी को सूचित किए बिना सीधे पुलिस अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई एवं टैक्सी प्रयोजनों के लिए वित्तीय स्रोत का उचित खुलासा किए बिना अपने नाम पर एक कार खरीदी। रिट अपीलार्थी को दिनांक 28-7-2000 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था एवं उक्त आदेश द्वारा उसका मुख्यालय विदिशा निर्धारित किया गया था एवं उसे उत्तरवादी क्रमांक- 2 की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) उत्तरवादी क्रमांक- 2 ने दिनांक 29-6-2000 के आरोप पत्र पर रिट अपीलार्थी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी को वीआरएल लॉट क्रमांक- 16 की खरीद हेतु जिम्मेदार ठहराया एवं दिनांक 16-12-2000 के आदेश के अनुसार वर्ष 2001-2002 के

लिए असंचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि वापस लेने एवं वेतन से 20 किस्तों में 7373 रुपये की वसूली का जुर्माना लगाया।

3. प्रारंभ में, रिट अपीलार्थी ने दिनांक 29-6-2000 के आरोप पत्र एवं दिनांक 16-12-2000 के आदेश को अभिखंडित करने, दिनांक 17-10-2000 एवं 1-12-2000 के आरोप पत्र को अभिखंडित करने एवं दिनांक 28-7-2000 के निलंबन आदेश को अभिखंडित करने के लिए यह रिट याचिका दायर की थी। इसके पश्चात् , अपीलार्थी ने संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया एवं दिनांक 1-12-2000 के आरोप पत्र के अनुसरण में पारित दिनांक 29-3-2001 के बर्खास्तगी आदेश को भी चुनौती दी । इसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। अपीलार्थी ने अपने विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी है कि उसे विदिशा में एक माह का यू/डी वेतन एवं निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया, जहां उसने निलंबन के पश्चात् दिनांक 17-11-2000 को कार्यभार ग्रहण किया था; वह रायपुर लौट आया क्योंकि वह धन की कमी के कारण विदिशा में नहीं रह सकता था; निर्वाह भत्ते एवं अन्य देयकों के लिए उसके अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया गया एवं इसलिए, वह विभागीय जांच में भाग नहीं ले सका; आरोप-पत्र के जवाब में रिट अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों पर भी विचार नहीं किया गया; आरोप अस्पष्ट थे, प्रकृति विशिष्ट एवं सामान्य नहीं थे एवं आरोप-पत्र जारी करते समय तत्कालीन तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया; रिट अपीलार्थी ने उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 3 के खिलाफ भ्रष्टाचार की विभिन्न शिकायतें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निर्देशक को भेजी थीं एवं उसके पश्चात् उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उसके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से आरोप-पत्र जारी किए; आरोप-पत्र जारी करने के अलावा, उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा रिट अपीलार्थी एवं अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई। रिट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी ने शपथपत्र में स्पष्ट रूप से पक्षपात, दुर्भावना एवं बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है एवं उत्तरवादी ने इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद शपथपत्र में लगाए गए आरोपों का खंडन करने की परवाह नहीं की है; आरोप-पत्र (याचिका का अनुलग्नक पी-1) जारी करते समय, रिट अपीलार्थी को दस्तावेजों की सूची, गवाहों की सूची, जिनके द्वारा आरोपों को कायम रखने का प्रस्ताव था, उपलब्ध नहीं कराई गई, जो भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) अधिनियम, 1971 के नियम 58(3) का उल्लंघन है; अनुलग्नक पी-1 के आरोपों की जाँच करने के लिए कोई जाँच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया; उत्तरवादी क्रमांक-1 द्वारा रिट अपीलार्थी का निलंबन अवैध एवं क्षेत्राधिकार क्षेत्र के बाहर है, जांच अधिकारी की नियुक्ति उस तिथि को की गई जब रिट अपीलार्थी को आरोप-पत्र दिया गया था, यहां तक कि अनुलग्नक पी-41 में दिए गए आरोप-पत्र पर रिट अपीलार्थी के उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं की गई थी; एवं दिनांक 1-12-2000 के आरोप-पत्र की जांच रिट अपीलार्थी के खिलाफ व्यक्तिगत रंजिश को संतुष्ट करने हेतु दुर्भावनापूर्वक प्रारम्भ की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षकारों के तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं उद्धृत निर्णय पर विचार करने के पश्चात याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया।

5. हमने रिट अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से तथा उत्तरवादिगणो के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. गुप्ता को भी विस्तार से सुना तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

6. रिट अपीलार्थी को अस्वीकृति सीमा से अधिक लेवी चावल स्वीकार करने, जिसके परिणामस्वरूप निगम को आर्थिक क्षति हुई, के लिए दिनांक 29-6-2000 (अनुलग्नक पी-1) का प्रथम आरोप पत्र जारी किया गया। रिट अपीलार्थी को दिनांक 28-7-2000 के

आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया एवं उसका मुख्यालय विदिशा में जिला प्रबंधक, सागर के अधीन निर्धारित किया गया तथा उसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि रिट अपीलार्थी को नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

7. रिट अपीलार्थी ने उपरोक्त आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उसे कदाचार के आरोप में विभागीय जाँच के मद्देनजर निलंबित कर दिया गया है एवं उसका मुख्यालय विदिशा में जिला प्रबंधक, सागर के अधीन निर्धारित किया गया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 5050/2000 दायर करके जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 4-9-2000 के तहत खारिज कर दिया था एवं रिट अपीलार्थी को अधिनियमों के तहत प्रदान किए गए उपचार के अन्तर्गत कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी थी। उपरोक्त आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा है कि जांच का स्थान भोपाल है एवं रिट अपीलार्थी का मुख्यालय विदिशा में निर्धारित किया गया है जो केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं दिखता है। पुनर्विलोकन याचिका भी खारिज कर दी गई। भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) अधिनियम , 1971 (संक्षेप में, 'अधिनियम ') के अधिनियम 68 के अनुसार निलंबन आदेश के खिलाफ रिट अपीलार्थी की अपील भी खारिज कर दी गई। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने आरोप-पत्र पर रिट अपीलार्थी के उत्तर को संतोषजनक न पाते हुए, असंचयी प्रभाव के दो वेतन वृद्धि रोकने एवं 7373/- रुपये की वसूली का दंड लगाया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई। हम अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज उपरोक्त निष्कर्ष के साथ-साथ उपरोक्त संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. रिट अपीलार्थी को दिनांक 17-10-2000 को दूसरा आरोप पत्र जारी किया गया था, किन्तु जाँच शुरू नहीं की गई एवं इसी बीच, दिनांक 1-12-2000 के आरोप पत्र के अनुसार, रिट अपीलार्थी को दिनांक 29-3-2001 को बर्खास्त कर दिया गया। अतः, उपरोक्त आरोप पत्र को निरस्त करने के लिए दावा किया गया अनुतोष पहले ही निष्फल हो चुका है।

9. अब आते हैं रिट अपीलार्थी के दिनांक 1-12-2000 के आरोप पत्र के अनुसरण में दिनांक 29-3-2001 के बर्खास्तगी आदेश पर। रिट अपीलार्थी ने दृढ़ता पूर्वक तर्क दिया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी एवं जाँच अधिकारी ने भी दुर्भावना पूर्वक कार्य किया है। जांच को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने एवं जांच अधिकारी बदलने के उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया गया, हालाँकि ये दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित थे क्योंकि रिट अपीलार्थी ने पूर्व में वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उनके खिलाफ कई लिखित शिकायतें दर्ज की थीं; रिट अपीलार्थी को निलंबित किए जाने के पश्चात, उसका मुख्यालय विदिशा में निर्धारित किया गया था, जो कि एक दूरस्थ स्थान है क्योंकि रिट अपीलार्थी संबंधित समय पर रायपुर में रह रहा था; उसे अपना देय निर्वाह भत्ते एवं वेतन का भुगतान नहीं मिला एवं वित्तीय संकट के कारण, वह अपने निलंबन मुख्यालय में नहीं रह सका । यद्यपि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उसे निलंबन के दौरान मुख्यालय में रहने तथा अनुशासनात्मक प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया था, तथापि निलंबन के दौरान रिट अपीलार्थी को मुख्यालय में रहने का निर्देश नहीं दिया जा सका तथा उत्तरवादियों के ये सभी कृत्य यह दर्शाते हैं कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी तथा जांच अधिकारी द्वेष से प्रेरित थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिनियम के नियम 58 के अनुसार जाँच के दौरान उन्हें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया; उन्हें निर्वाह भत्ता दिए बिना जाँच कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था एवं विभागीय कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के स्थापित मानदंडों की अनदेखी करते हुए रिट अपीलार्थी को किसी भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तरह से सेवा से हटाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू एवं संचालित की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय मामले के इस पहलू की अनदेखी की।

10. अधिनियमों का नियम 66(6) इस प्रकार है:-

"निलंबन: xxx XXX

(6) *(निलंबन के अधीन या निलंबन के अधीन विलेखित कोई कर्मचारी, निलंबन की तारीख से ठीक पहले की तारीख को संबंधित कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन के आधे पर निर्वाह अनुदान का हकदार होगा)। वह निलंबन की तिथि को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिपूरक भत्ते जैसे प्रतिपूरक (शहर) भत्ता, मकान किराया भत्ता, समय-समय पर स्वीकार्य वाहन भत्ते के अलावा अन्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार है, बशर्ते कि ऐसे भत्ते प्राप्त करने के लिए निर्धारित अन्य शर्तें पूरी की जाएं। यदि किसी निलंबित कर्मचारी का मुख्यालय सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा लोकहित में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वह नए स्थान पर स्वीकार्य भत्ते का हकदार होगा, बशर्ते कि वह ऐसे स्थान के संदर्भ में अपेक्षित प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, प्रस्तुत करे:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परन्तु इस अधिनियम के तहत कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कर्मचारी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यवसाय, पेशे या वृति में संलग्न नहीं है।

11. विद्वान एकल न्यायाधीश ने दस्तावेज अनुलग्नक आर-11 का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि रिट अपीलार्थी को विदिशा डिपो से देय भत्ता दिनांक 1-1-2001, 14-12-2000, 24-1-2001, 28-2-2001 एवं 29-3-2001 को भुगतान न किये जाने के

रूप में वापस कर दिया गया था; रिट अपीलार्थी को अनुशासनिक प्राधिकारी एवं जांच अधिकारी द्वारा बार-बार निर्देशित किया गया था कि वह विदिशा मुख्यालय में ही रहे तथा अपना निर्वाह भत्ता प्राप्त करें; विदिशा में मुख्यालय स्थापित करने के विरुद्ध उनकी याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी; जाँच अधिकारी द्वारा रिट अपीलार्थी को जाँच की विभिन्न तिथियों के बारे में भी सूचित किया गया था, हालाँकि उन्होंने इस बहाने से जाँच में भाग नहीं लिया कि उन्हें पहले निर्वाह भत्ता एवं अन्य देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, हालाँकि जाँच अधिकारी द्वारा उन्हें निलंबन आदेश के अनुसार अपने मुख्यालय से इसे प्राप्त करने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका था। रिट अपीलार्थी द्वारा लिए गए इस आधार को खारिज कर दिया गया कि बर्खास्तगी का आदेश उन्हें अपना बचाव करने का उचित अवसर दिए बिना पारित किया गया है एवं उनके विरुद्ध एकपक्षीय जाँच करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इंद्र भानु गौर बनाम एम.एम. डिग्री कॉलेज प्रबंधन समिति एवं अन्य के मामले में, दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के दौरान निर्वाह भत्ते का भुगतान न किए जाने के प्रभाव पर विचार करते हुए, 2003 एल.ए.बी. आई.सी. 3844 में अभिलेख प्रस्तुत की गयी। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्वाह भत्ते का भुगतान न करना, विभागीय कार्यवाही को दूषित करने का आधार नहीं हो सकता है एवं कार्यवाही का प्रभावी ढंग से बचाव करने में होने वाले पूर्वाग्रह को प्रभावित कर्मचारी द्वारा दर्शाया एवं स्थापित किया जाना चाहिए। कंडिका 8 में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "अपीलार्थी यह तर्क या पुष्टि भी नहीं कर सका कि भुगतान न करना या तो जानबूझकर किया गया था या उसे परेशान करने के लिए किया गया था एवं उसकी अपनी गलती के कारण नहीं था। यह अंततः पूर्वाग्रह का प्रश्न है। जब तक पूर्वाग्रह प्रदर्शित एवं स्थापित नहीं किया जाता है, केवल निर्वाह भत्ते का भुगतान न करना स्वतः ही प्रत्येक मामले में कार्यवाही को दूषित

करने का आधार नहीं हो सकता है। यह विशेष रूप से तर्क दी जानी चाहिए एवं स्थापित किया जाना चाहिए कि निर्वाह भत्ता न मिलने के कारण प्रभावित कर्मचारी किस तरह से विकलांग है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक यह विधि में पूर्ण प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है कि निर्वाह भत्ते का भुगतान न करना अवसर से वंचित करने के बराबर है एवं विभागीय कार्यवाही को दूषित करता है।"

13. उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड बनाम पी.सी. चतुर्वेदी एवं अन्य (2005) 8 एससीसी 211 मामले में निर्वाह भत्ते के भुगतान के संबंध में इंद्रा गौर (पूर्वोक्त) के मामले में व्यक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ नियम यह प्रावधान करता है कि निर्वाह भत्ता केवल तभी देय है जब कर्मचारी, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिदिन कार्यस्थल पर उपस्थित हो एवं कर्मचारी द्वारा यह स्पष्टीकरण न दिया गया हो कि उसने उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, तो इस आवश्यकता को तकनीकी और/या महत्वहीन मानकर हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसके अलावा, जहाँ रोजगार को नियंत्रित करने वाले नियम भी इसका प्रावधान करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें रिट अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्क में कोई सार नहीं मिलता है एवं हमारा यह भी मानना है कि जांच कार्यवाही विधि के अनुसार एवं अधिनियम 58 के सख्त पालन में की गई थी।

15. रिट अपीलार्थी ऐसा कोई भी तथ्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे यह पता चले कि जाँच दुर्भावना से प्रेरित है एवं केवल रिट अपीलार्थी को किसी भी तरह से दुर्भावनापूर्वक पद से हटाने के लिए शुरू एवं संचालित की गई थी। रिट अपीलार्थी ने कभी भी इस बात पर कोई विवाद नहीं उठाया कि आरोप अस्पष्ट थे। कई नोटिस/स्मरणपत्र के बावजूद, उसने जानबूझकर किसी न किसी बहाने विभागीय कार्यवाही में भाग नहीं लिया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने रिट अपीलार्थी को अपना बचाव प्रस्तुत करने का एवं अवसर

देने के लिए अभिलेख वापस भेज दी, तथापि रिट अपीलार्थी ने जाँच अभिलेख स्वीकार करने से इनकार कर दिया एवं जाँच अभिलेख के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

16. सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती स्वर्ण लता बनाम भारत संघ एवं अन्य (1979) 3 एससीसी 165 के मामले में अपने निर्णय के कंडिका 57 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

57. विचारणीय अगला प्रश्न यह है कि

क्या कोई पक्षपात था। हम अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह मानने में असमर्थ हैं कि डॉ. ओ.एस. सहगल, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़ की ओर से कोई पक्षपात था या उन्होंने चयन समिति के सदस्यों को किसी भी तरह से प्रभावित किया जिससे उत्तरवादी 6 का चयन प्रभावित हुआ। हमारे विचार में, रिट याचिका में लगाए गए आरोप चंडीगढ़ प्रशासन या विशेष रूप से डॉ. ओ.एस. सहगल के विरुद्ध दुर्भावना या पक्षपात का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जो उत्तरवादी 6 की नियुक्ति को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त हों। संघ लोक सेवा आयोग के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया गया है। यदि रिट याचिका में प्रथम दृष्टया मामला बनाने वाले आरोपों का आवश्यक विवरण नहीं दिया गया है, तो न्यायालय द्वारा दुर्भावना के आरोपों की जाँच करने से इनकार करना उचित होगा। दुर्भावना स्थापित करने का भार आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर बहुत अधिक होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के वाक्यों को लागू करने पर यह स्पष्ट है कि रिट अपीलार्थी उत्तरवादियों के विरुद्ध पक्षपात या दुर्भावना के आरोपों को साबित करने के लिए अपने ऊपर निहित

दायित्व का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रहा है एवं इस प्रकार रिट अपीलार्थी द्वारा इस अवलंब पर दिए गए तर्क भी निराधार हैं।

18. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई अनियमितता नहीं दिखती। रिट अपीलार्थी, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई भी अवलंब प्रस्तुत करने में पूरी तरह विफल रहा। रिट अपील, सारहीन होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है एवं इसलिए इसे खारिज की जाती है।

19. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आई.एम. कुद्दुसी

न्यायाधीश

सही/-

एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश

अस्वीकरणः- हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है, ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Shri Prahlad Panda, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur